2018/00453

मिसल नं0 14/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम कुलविन्दर सिंह पुत्र हरदत्त सिंह खत्री निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद के पूर्व ख0 नं0 48 की 51 बीधा 5 बिस्वा सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2013–2032 मे किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी । हाल नम्बर 95 रकबा 0.15 है0, 96 की 0.36 है0, 97 की 0.12 है0, 104 की 0.68 है एवं ख0 नं0 1054 की 5.11 हैक्टर ग्राम तोरण तहसील दीगोद नामान्तरकरण सं0 6 दिनांक 20.08.1969 सें कुलविन्दर सिंह पुत्र हरदत्त सिंह जाति खत्री निवासी सुल्तानपुर के नाम दर्ज हो गई । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै0 मु0 तालाब राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी जयपुर मे निवास करना अंकित किया है । अप्रार्थी के सही पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/1054 दिनांक 21.10.2019 से तहसीलदार दीगोद को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सभी अप्राथी कुलविन्दर सिंह पुत्र हरदत्त सिंह जाति खत्री निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद का सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	